

बिहार सरकार
गृह विभाग

अधिसूचना
शुद्धि पत्र

५०-२५.८.१५

संख्या-अ.नि.(०१)-१९/२०१५(स्था.) १०९/गृह विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-६३१ दिनांक १४.०७.२०१५ द्वारा बिहार अभियोजन सेवा के विभिन्न कोटि के अभियोजन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया था। अधिसूचना निर्गत के उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदनों एवं समीक्षा के आलोक में त्रुटियों का निराकरण करने के क्रम में प्रासंगिक अधिसूचना द्वारा अधिसूचित निम्नांकित पदाधिकारियों को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-४ में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया जाता है। :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला	अधिसूचित वर्तमान पदस्थापन	संशोधित पदस्थापन
१	२	३	४
१.	श्री राम प्रवेश दास, वैशाली	जिला अभियोजन कार्यालय, वैशाली	जिला अभियोजन कार्यालय, भोजपुर, आरा
२.	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, इलाहाबाद	अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना	जिला अभियोजन कार्यालय, मधुबनी
३.	श्री आलोक प्रसून, खगड़िया	जिला अभियोजन कार्यालय, जहानाबाद (प्रतिनियुक्त अरवल)	जिला अभियोजन कार्यालय, मधुबनी
४.	श्री मुक्तेश्वर प्रसाद, देवरिया (यू.पी.)	जिला अभियोजन कार्यालय, शिवहर	जिला अभियोजन कार्यालय, सीतामढ़ी (प्रतिनियुक्त जिला अभियोजन कार्यालय, शिवहर)
५.	श्री कमलदेव प्रसाद, देवरिया (यू.पी.)	जिला अभियोजन कार्यालय, शिवहर	जिला अभियोजन कार्यालय, सीतामढ़ी (प्रतिनियुक्त जिला अभियोजन कार्यालय, शिवहर)
६.	श्री अरविन्द कुमार सिंह, सिवान	जिला अभियोजन कार्यालय, शिवहर	जिला अभियोजन कार्यालय, पटना (प्रतिनियुक्त विशेष निगरानी ईकाई, बिहार, पटना)
७.	श्री उमेश कुमार, नालंदा	अनुमंडल अभियोजन कार्यालय, पुपरी, सीतामढ़ी	जिला अभियोजन कार्यालय, खगड़िया
८.	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, जौनपुर (यू.पी.)	अनुमंडल अभियोजन कार्यालय, दानापुर (प्रतिनियुक्त विशेष निगरानी ईकाई, बिहार, पटना)	जिला अभियोजन कार्यालय, अररिया

२. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि आदेश के आलोक में बिना पारगमन काल/बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभार सौंपते हुए अविलम्ब विरमित होकर नव पदस्थापन स्थल पर योगदान करना सुनिश्चित करें। उन्हें अपने वर्तमान धारित पद का अनुमान्य वेतन देय होगा तथा अतिरिक्त प्रभार/प्रतिनियुक्ति हेतु उन्हें किसी प्रकार के अतिरिक्त भत्ते/वेतन की अनुमान्यता नहीं रहेगी।"

३. स्थानान्तरित/पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को माह अगस्त, २०१५ का वेतन पदस्थापन स्थल से विकलनीय होगा।

४. गृह विभाग का अधिसूचना ज्ञापांक-६३१ दिनांक १४.०७.२०१५ इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(म)

(जामिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव।

दिनांक २५ अगस्त, २०१५।

ज्ञापांक- अ.नि.(०१)-१९/२०१५(स्था.) १०९

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-७ को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (सी०डी० सहित) प्रेषित।


(म)

सरकार के प्रधान सचिव। २५.८.१५

ज्ञापांक— अ.नि.(01)—19/2015(स्था.) ...१०१.....

दिनांक...२५...अगस्त, 2015।

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/उप सचिव, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— अ.नि.(01)—19/2015(स्था.) ...१०१.....

दिनांक...२५...अगस्त, 2015।

प्रतिलिपि:—सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/अभियोजन महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी जिला अभियोजन पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित अभियोजन पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— अ.नि.(01)—19/2015(स्था.) ...१०१.....

दिनांक...२५...अगस्त, 2015।

प्रतिलिपि:—आई.टी. मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव।

२५. 8. 15